सं0–1154/ 2018(2)–11–03(03)/2017

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई अनुभाग–2

देहरादून, दिनांक 16 जनवरी, 2018

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य सैक्टर की डी0पी0आर0 निर्माण मद के अन्तर्गत योजनाओं की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0 1731/प्र0अ0/सिं0वि0/बजट/बी–1 (योजना), दिनांक 29 मई, 2017 एंव पत्र संख्या 3212/प्र0अ0/सिं0वि0/नि0अनु0/पी–27 (जलाशय), दिनांक 20 सितम्बर, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सैक्टर की डी0पी0आर0 निर्माण मद के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार योजनाओं की विभागीय टीएसी द्वारा संस्तुत कुल लागत रू0 315.93 लाख की प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति के साथ वित्तीय वर्ष 2017–18 में योजनाओं पर व्यय हेतु रू0 119.43 लाख (रू0 एक करोड़ उन्नीस लाख तैंतालिस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i) प्रश्नगत कार्य हेतु Uttarakhand Procurement Rules, 2017 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ।

(ii) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(iii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

(iv) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(xi) कार्यो के पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

(xii) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(xiii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

(xiv) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग दि0–31.03.2018 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा कृत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(xv) विषयगत आगणन का पुनः किसी भी दशा में पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

2 इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2700–मुख्य सिंचाई –80–सामान्य– 005–सर्वेक्षण तथा अन्वेषण–02– डी0पी0आर0 निर्माण (2700–80–800–09 से स्थानान्तरित)–42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3 यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 467/XXVII(2)/2018, दिनांक, 05 जनवरी, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1154(1)/2018(2)–03(03)/2017तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस सी–1/105, इन्दिरानगर, दे0दून ।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3. निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
4. आयुक्त, गढ़वाल/कुमॉयू मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
5. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
8. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
11. वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग, देहरादून।
12. सम्बन्धित सिंचाई खण्ड द्वारा प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई, उत्तराखण्ड।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
संयुक्त सचिव

Scanned with CamScanner